



# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, http:// bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 29/11/2022

## अधिसूचना

संख्या-नि०प्रा०/नि० 1-63/2022...2181...बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-2102 दिनांक 15.11.2022 द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत बारा चकिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन कार्यक्रम संसूचित किया गया था।

जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 1960 दिनांक 29.11.2022 द्वारा किये गये अनुशांसा के आलोक में उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम तात्कालिक प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

2. बारा चकिया व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत पुनर्निर्धारित किया जाता है-

(i)	मतदान	09.12.2022 (शुक्रवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतगणना	09.12.2022 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(iii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	12.12.2022 (सोमवार)

3. उक्त समिति के निर्वाचन हेतु निर्विवाद मतदान केन्द्र यथा प्रखंड मुख्यालय परिसर में मतदान केन्द्र का निर्धारण दिनांक 02.12.2022 तक कर लिया जायेगा। नये मतदान केन्द्र के संबंध में मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर झंटेहार आदि चिपकाकर किया जायेगा। दिनांक 06.12.2022 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

6. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 12.12.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या 1794 दिनांक 23.09.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।


(पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 2181

पटना/ दिनांक 29/11/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
सचिव

ज्ञापांक : 2181

पटना/ दिनांक 29/11/2022

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पूर्वी चम्पारण/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स० स०), पूर्वी चम्पारण/ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण/ अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), चकिया (पूर्वी चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव

ज्ञापांक : 2181

पटना/ दिनांक 29/11/2022


प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव

ज्ञापांक : 2181

पटना/ दिनांक 29/11/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव